

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	उमरिया जिले में करकेली-घुलघुली रहता-कठौतिया मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु 0.7125 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 0.7875 हेक्टेयर) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (अ/स.) संभाग, उमरिया को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:—01.02.2021

स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal